संख्या- 140 /2025/ 847 /चार-2025-1912934

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2025

विषय- विश्व महिला दिवस के अवसर पर त्रिदिवसीय आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-5723/सं0नि0-15(51)/2024-25, दिनांक 07 मार्च, 2025 तथा पत्र संख्या- 5833/सं0नि0-15(128)/2024-25 दिनांक 15 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मिशन शक्ति (फेज-5.0) के अन्तर्गत महिलाओं में स्व-उद्यमिता विकसित करने के दृष्टिगत महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ०प्र० लखनऊ मुख्यालय/ 1090 में Women's Fest का आयोजन दिनांक 08,09 एवं 10 मार्च, 2025 को किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह भी अवगत कराया गया है कि मिशन शक्ति पांचवा चरण में दिनांक 10 से 11 अक्टूबर, 2024 की अवधि में कुम्भ कला संस्कृति विरासत एवं नारी सुरक्षा पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु धनराशि रू0 23.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-354/2024/3072/चार-2024 दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 के द्वारा प्रदान की गई थी। अपरिहार्य परिस्थिति उक्त कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

3. संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या- 5833/सं0नि0-15(128)/2024-25 दिनांक 15 मार्च, 2025 के बिन्दु संख्या-3 में उक्त शासनादेश संख्या- 354/2024/3072/चार-2024 दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 द्वारा स्वीकृत रू0 23.20 लाख की स्वीकृति को निरस्त कर विश्व महिला दिवस के अवसर पर त्रिदिवसीय आयोजन हेतु रू0 7,10,800.00 की स्वीकृति 25- उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव -2024-25 - 42- अन्य व्यय मद से प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त सम्बन्ध में मिशन शक्ति के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रायोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसका व्यय विवरण निम्नवत् उपलब्ध कराया गया हैः-

क्र0	दिनांक	विधा	कलाकार का नाम	मानदेय	यात्रा व्यय	कुल मानदेय
1	08.03. 2025	किस्सागोई	श्री हिमान्शु बाजपेयी, लखनऊ	50000		50000
2		शोभा यात्रा	श्री खजान सिंह, मथुरा	80000	30800	110800
1.	09.03. 2025	दुर्गा नृत्य नाटिका	सुश्री मीरा दीक्षित, लखनऊ	40000		40000
2		लोक गायन	सुश्री स्नेहिल श्रीवास्तव, लखनऊ	45000		45000
3.		महिला कवि सम्मेलन	सुश्री शोभा दीक्षित भावना, लखनऊ	15000		15000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

4.			सुश्री कुसुम (मानसी द्विवेदी), लखनऊ	15000		15000
5			सुश्री सरला शर्मा, लखनऊ	15000		15000
6			सुश्री प्रियंका राय, नोएडा	20000		20000
7			सुश्री सरोज सरगम, पीलीभीत	20000		20000
1	10.03.2025	वैण्ड प्रस्तुति	सुश्री स्वाति सिंह, उन्नाव (बुमनिया बैण्ड)	150000	50000	200000
2	कलाकारों के आवास एवं भोजन पर व्यय (03 दिवस हेतु)					130000
3	कलाकारों हेतु स्थानीय यातायात पर व्यय					50000
	कुल योग (रूपये सात लाख दस हजार आठ सौ मात्र)					710800

5. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार "मिशन शक्ति" पांचवा चरण 'शक्ति महोत्सव' के अन्तर्गत दिनांक 10 व 11 अक्टूबर, 2024 की अवधि में कुम्भ, कला, संस्कृति, विरासत एवं नारी सुरक्षा पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू0 23.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक **शासनादेश संख्या-354/2024/3072/चार-2024-1856953 दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 को निरस्त किया जाता है** तथा विश्व महिला दिवस के अवसर पर त्रिदिवसीय आयोजन हेतु **रू0 7,10,800.00 (रूपये सात लाख दस हजार आठ सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-6 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

6. <u>शर्तें/ प्रतिबन्ध :-</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय- 25-उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव 2024-25-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या- 140 /2025/ 847 (1)/ चार-2025-1912934, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी

संयुक्त सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।